

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

—पदों की संख्या अधिक/कम रही जा सकती है।

वेतनमान —	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक —	37400-67000+ ग्रेड-पे 10000 + शौली ५०००
सह प्राध्यापक —	37400-67000+ ग्रेड-पे 9000+ शौली ५०००

टीप — समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर रवीकृत वेतनमान/नियुक्ति मानदेय एवं अन्य भूत्ते आदि देय होगे।

2. आयु सीमा — न्यूनतम

प्राध्यापक	—	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	—	30 वर्ष

टीप — आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जायेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अर्हताये :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारतीय दन्त परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

5. निरहताये—

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा — किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी — जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी — किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचारणीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी — चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

२८

6. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।
7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।
8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा ।
11. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टापिट एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन / मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।
12. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी ।
13. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :— स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांक 21/03/2018 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये । आवेदन पत्र डाक द्वारा, व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
14. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.nsccbmc.ac.in पर उपलब्ध है ।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी । आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर



२३

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
क्रमांक /स्था. /विज्ञप्ति /2018/1961 जबलपुर, दिनांक 21/03/2018

// संशोधित विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर के अधीन प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक, के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु संस्था स्तर पर केवल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में पदस्थ सह. प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र स्वशासी नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांक 21/03/2018 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये गये थे। निर्णय लिया गया है कि प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक, के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को सीधी भर्ती के पदों से एवं पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को भी सीधी भर्ती से भरा जावे। अतः उक्तानुसार निर्धारित आरक्षण रोस्टर अनुसार सरल क्रमांक 4, 5, 8, 11, 14, 15, 19, 24 एवं 25 में उल्लेखित पदों के आरक्षण रोस्टर में परिवर्तन किया गया है एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.शासन, भोपाल के आदेश क्रमांक 420-426/संचिशि/स्था/2017 दिनांक 22.02.18 के दिशानिर्देश अनुसार पूर्व विज्ञप्ति के बिन्दु क्रमांक 2 से 'अधिकतम आयु सीमा' सम्बन्धी प्रावधान विलोपित किया गया है। आवेदन पत्र संस्था स्तर पर केवल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में पदस्थ सह. प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांक 21/03/2018 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.nsccbmc.ac.in पर उपलब्ध है।

आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा
महाविद्यालय जबलपुर

अधिष्ठाता कार्यालय

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक /स्था. /विज्ञप्ति /2018/२२०३

दिनांक 21.03.2018

// संशोधित विज्ञप्ति //

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21/03/2018 सायं 5:30 बजे तक

प्राध्यापक / सह प्राध्यापक

क्र.	विषय	प्राच्यापक				सह-प्राच्यापक			
		UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	OBC
1	एनार्टॉनी	1	0	0	0	0	0	0	0
2	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	1	1	0	0
3	वायोकेमिस्ट्री	1	0	0	0	0	0	0	0
4	वैधालॉजी	0	0	0	0	0	1	0	0
5	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	2	0	0	0
6	फार्माकोलॉजी	0	0	0	0	1	0	0	0
7	फामाकेमिस्ट्री	0	0	0	0	1	0	0	0
8	फोरेंसिक मेडिसिन	1	0	0	0	2	0	0	0
9	एनेरेथ्रिसियोलॉजी	1	0	0	0	0	0	0	0
10	एनेरेथ्रिसियोलॉजी (स्पाइनल)	0	0	0	0	1	0	0	0
11	रेडियोडायग्नोसिस	0	0	0	0	0	1	0	0
12	डरमेटोलॉजी वरनेरोलॉजी एंड लेप्रोसी	1	0	0	0	1	0	0	0
13	पीडियाट्रिक सर्जरी	0	0	0	0	1	0	0	0
14	ट्यूबरकुलोसिस एंड रेसपिटरी डिसीज	1	0	0	0	1	0	0	0
15	जरनल मेडिसिन	2	0	0	0	0	0	0	0
16	जनरल सर्जरी	1	0	0	0	0	0	0	0
17	न्यूरोसर्जरी	1	0	0	0	0	0	0	0
18	शिशुरोग	1	0	0	0	0	0	0	0
19	स्त्रीरोग	2	0	0	0	0	0	0	0
20	नेक्टरोग	1	0	0	0	0	0	0	0
21	ईएनटी	1	0	0	0	0	0	0	0
22	अस्थिरोग (स्पाइनल)	1	0	0	0	0	0	0	0
23	दंतरोग	1	0	0	0	1	0	0	0
24	रेडियोथेरापी अंकोलाजिस्ट	2	0	0	0	0	0	0	0
25	रेडियोथेरापी मेडिकल फिजिक्स	2	0	0	0	2	0	0	0